निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक सी-2903/बा0वि0परि0/पी0एफ0एम0एस0/2017–18, दिनांक : 15 जनवरी, 2018

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

आप अवगत ही है कि ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/मिनी ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं के मानदेय का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली से किया जा रहा है। कतिपय जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/मिनी ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं के नाम पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली में जोड़ने एवं मानदेय/अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/मिनी ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं का विधिवत् परीक्षण करा लें कि कहीं ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्रियॉ/मिनी ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्रियॉ/सहायिकाएं काफी समय से सेवा से विरत रहीं है उन्हें पुनः सेवा में तो नहीं लगाया जा रहा है?

अतः ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/मिनी ऑगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं का विधिवत् परीक्षण करने के पश्चात पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली में नाम जोड़ने हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव संसुगत अभिलेखों सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

15/1/18

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक।